

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**  
**चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण क्र.-298 / 15**  
**संस्थापित दिनांक-09.10.2015**  
**Filing no. 235103002782015**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।		.....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>		
1-पप्पू पुत्र गोविन्द दास कोली, निवासी-नयापुरा चंदेरी थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)		.....आरोपी
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।	
आरोपी द्वारा	:- श्री के.एन. भार्गव अधिवक्ता।	

**:- निर्णय :-**  
**(आज दिनांक 10.01.2018 को घोषित)**

**01-** आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 451 एवं 354 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 17.08.2015 को शाम करीब 5:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम प्राणपुर में फरियादीया हेमलता का घर जो कि मानव निवास के उपयोग में आता है, में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया तथा फरियादिया हेमलता जो कि एक स्त्री है, उसकी बुरी नियत से गालों पर हाथ फेरकर व छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

**02-** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादिया हेमलता एवं अभियुक्त पप्पू के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त पप्पू को भा.द.वि की धारा 451 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

**03-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया हेमलता ने अपने पति हरगोविन्द कोली के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह प्राणपुर की रहने वाली है तथा दिनांक 17.08.15 को दिन के करीब पांच बजे वह अपने घर पर खाना बना रही थी तभी दूर का रिस्तेदार पप्पू कोली उसके घर पर आया और उसके पति का नाम लेकर आवाज दी तथा उसने कहा कि वे चंदेरी गये हैं क्या काम है तो वह बोला कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। मैंने उससे कहा कि बैठ जाओ पानी पी लो और मैंने उसे पलंग पर बिठाकर पीने को पानी दिया तथा मैं खाना बनाने लग गयी तभी पप्पू पानी पीकर उसका पा आकर उसे बुरी नियत से पहले उसके गालों पर हाथ फिराया और उसकी छाती दबाने लगा तथा कहने लगा आई लव यू मैं तुझे बहुत प्यार किया करता हूँ तभी वह एक दम से खड़ी हो गयी और उसने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करने में और उसने उसे एक चांटा मार दिया तथा उसके चिल्लाने पर उसका देवर आया। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये।

आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04—** अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05—** राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.08.2015 को शाम करीब 5:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम प्राणपुर में फरियादीया हेमलता जो कि एक स्त्री है, उसकी बुरी नियत से गालों पर हाथ फेरकर व छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
----	---

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**06—** अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। अभियोजन साक्षी हेमलता (अ.सा.-01) एवं हरगोविंद (अ.सा.-02) ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानते हैं। घटना करीब दो ढाई साल पहले सायं की है। आरोपी ने उसके घर पर आकर गाली गलौज कर दी तथा बाद विवाद किया। आरोपी उसके पति को गालिया दे रहा था उस समय उसके पति घर पर नहीं थे। वह उस समय घर पर खाना बना रही और घटना के समय उसके अलावा और कोई नहीं था। उसका पति करीब एक घंटे बाद घर पर और घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट करने वह अपने पति हरगोविन्द के साथ थाना जाकर प्रपी-1 का आवेदन उसने थाना चंदेरी पर लिखाया था। प्रपी-1 के आवेदन एवं प्रपी-2 की रिपोर्ट में क्या तथ्य लिखे हुए हैं उसे जानकारी नहीं है। उसने आरोपी द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज करायी थी तथा घटना के बाद उसे इलाज के लिये भेजा था उसे याद नहीं है। प्रपी-3 का नक्शा मौका मेरे सामने बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं पुलिस ने पूछाताछ कर मेरे बयान लिये थे।

**07—** अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी उसके घर पर उसके पति से मिलने आया था और उसे घर में बिठाकर पानी पिलाया था। इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने खाना बनाते समय बुरी नियत से उसके गालों एवं छाती पर हाथ फिराया था और यह कहा था कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात से इंकार किया कि उसके चिल्लाने पर उसका देवर अरविंद मौके पर आया था तब आरोपी उसे देखकर भाग गया। इस बात से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रपी-1 के आवेदन में बी से बी भाग का

कथन एवं प्रपी-4 का ए से ए भाग का कथन लेखबद्ध कराया था पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया वह कारण नहीं बता सकती। मैंने प्रपी-2 की रिपोर्ट को पढ़कर नहीं देखा था। प्रपी-2 के बी से बी भाग का तथ्य पुलिस ने कैसे लेखबद्ध किया मैं कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार कि आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।

**08—** अभियोजन अधिकारी द्वारा फरियादी हेमलता अ.सा.-1 एवं उसके पति हरगोविंद अ.सा.-2 ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपी को जानने वाली बात बताई किन्तु उन्होंने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया केवल उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि आरोपी द्वारा हेमलता के साथ गाली गालौच करने की रिपोर्ट उनके द्वारा थाने पर लेखबद्ध करायी थी। कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आया था। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। फरियादी हेमलता अ.सा.-1 एवं उसके पति हरगोविंद अ.सा.-2 ने उनके मुख्य परीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने खाना बनाते समय बुरी नियत से हेमलता के गालों एवं छाती पर हाथ फिराया था और कहा कि वह उसे बहुत प्यार करता है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

**09—** उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 17.08.2015 को शाम करीब 5:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम प्राणपुर में फरियादीया हेमलता जो कि एक स्त्री है, उसकी बुरी नियत से गालों पर हाथ फेरकर व छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः आरोपी पप्पू को धारा 354 भा.द.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**10—** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**11—** प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।

**12—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

दा.प्र.क.-298 / 15